व्यापार की योजना

आय सृजन गतिविधि - चूली तेल का निष्कर्षण

जय देवता पंच वीर-स्वयं सहायता समूह द्वारा

एसएचजी/सीआईजी नाम	::	**जय देवता पंच वीर**
वीएफडीएस नाम	::	**कंधार सुगा**
वन परिक्षेत्र	::	**सराहन**
वन मंडल	::	**रामपुर**

तैयार इसके अंतर्गत :

वन प्रबंधन एवं आजीविका सुधार परियोजना (जेआईसीए सहायता प्राप्त)

विषयसूची

क्रमांक ।	विवरण	पृष्ठ
1	एसएचजी/सीआईजी का विवरण	3
2	लाभार्थियों का विवरण	4- 5
3	गांव का भौगोलिक विवरण	6
4	कार्यकारी सारांश	6
5	आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण	6
6	उत्पादन योजना	7
7	बिक्री और विपणन	7
8	संकट विश्लेषण	7
9	सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण	7
10	अर्थशास्त्र का विवरण	8
11	आय और व्यय का विश्लेषण	9
12	निधि की आवश्यकता	9
13	निधि के स्रोत	10
14	प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन	10
15	कर्ज का भुगतान	10
16	निगरानी विधि	11
17	टिप्पणी	11
18	समूह सदस्यों की तस्वीरें	12

1. एसएचजी/सीआईजी का विवरण

2.1	एसएचजी/सीआईजी नाम	::	जय देवता पंच वीर
2.2	वीएफडीएस	::	कंधार सुगा
2.3	वन परिक्षेत्र	::	सराहन
2.4	वन मंडल	::	रामपुर
2.5	गाँव	::	कंधार
2.6	ब्लॉक	::	रामपुर
2.7	ज़िला	::	शिमला
2.8	एसएचजी में सदस्यों की कुल संख्या	::	12 (महिलाएं)
2.9	गठन की तिथि	::	मार्च 2021
2.10	बैंक खाता संख्या	::	43110125455
2.11	बैंक विवरण	::	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, रामपुर
2.12	एसएचजी/सीआईजी मासिक बचत	::	50
2.13	कुल बचत		600
2.14	कुल अंतर- ऋण		-
2.15	नकद क्रेडिट सीमा		- -
2.16	पुनर्भुगतान स्थिति		- -

2. लाभार्थियों विवरण:

क्रमांक	नाम (श्रीमती)	पिता/पति का नाम (श्री.)	आयु	वर्ग	पद का नाम	आय स्रोत	पता
1	मीना देवी	किशोरी लाल	53	सामान्य	अध्यक्ष	कृषि	ग्राम - कनहर, डाकघर - सरपारा तहसील - रामपुर जिला - शिमला (हिमाचल प्रदेश)
2	देवका देवी	रोशन लाल	45	सामान्य	सचिव	कृषि	ग्राम - कनहर, डाकघर - सरपारा तहसील - रामपुर जिला - शिमला (हिमाचल प्रदेश)
3	निकिता	अश्वनी एस	20	सामान्य	कोषाध्यक्ष	कृषि	ग्राम - कनहर, डाकघर - सरपारा तहसील - रामपुर जिला - शिमला (हिमाचल प्रदेश)
4	कीर्ति देवी	लाभ सिंह	49	सामान्य	सदस्य	कृषि	ग्राम - कनहर, डाकघर - सरपारा तहसील - रामपुर जिला - शिमला (हिमाचल प्रदेश)
5	सनम देवी	विनोद सदानी	36	सामान्य	सदस्य	कृषि	ग्राम - कनहर, डाकघर - सरपारा तहसील - रामपुर जिला - शिमला (हिमाचल प्रदेश)
6	सुनीता देवी	आलोक सदानी	42	सामान्य	सदस्य	कृषि	ग्राम - कनहर, डाकघर - सरपारा तहसील - रामपुर जिला - शिमला (हिमाचल प्रदेश)

7	बिरमा देवी	मस्तराम	48	सामान्य	सदस्य	कृषि	ग्राम - कनहर, डाकघर - सरपारा तहसील - रामपुर जिला - शिमला (हिमाचल प्रदेश)
8	कुंता देवी	करम चंद	50	सामान्य	सदस्य	कृषि	ग्राम - कनहर, डाकघर - सरपारा तहसील - रामपुर जिला - शिमला (हिमाचल प्रदेश)
9	पूर्वा देवी	अमर सिंह	46	सामान्य	सदस्य	कृषि	ग्राम - कनहर, डाकघर - सरपारा तहसील - रामपुर जिला - शिमला (हिमाचल प्रदेश)
10	भारती देवी	योग राज	38	सामान्य	सदस्य	कृषि	ग्राम - कनहर, डाकघर - सरपारा तहसील - रामपुर जिला - शिमला (हिमाचल प्रदेश)
11	हेमा देवी	नरेन्द्र लाल	53	सामान्य	सदस्य	कृषि	ग्राम - कनहर, डाकघर - सरपारा तहसील - रामपुर जिला - शिमला (हिमाचल प्रदेश)
12	चानू देवी मेहता	रोशन लाल	50	अनुसूचित जाति	सदस्य	कृषि	ग्राम - कनहर, डाकघर - सरपारा तहसील - रामपुर जिला - शिमला (हिमाचल प्रदेश)

3. गांव का भौगोलिक विवरण

3.1	जिला मुख्यालय से दूरी	::	160 किमी
3.2	मुख्य सड़क से दूरी	::	8 किमी
3.3	स्थानीय बाजार का नाम एवं दूरी	::	रामपुर-30 किमी
3.4	मुख्य बाजार का नाम एवं दूरी	::	रामपुर-30 किमी
3.5	मुख्य शहरों के नाम एवं दूरी	::	
3.6	उन स्थानों का नाम जहां उत्पाद बेचा/विपणित किया जाएगा	::	कंधार, सुगा, सरपारा।

4. कार्यकारी सारांश

चूंकि यह क्षेत्र बागवानी क्षेत्र में स्थित है, इसलिए अधिकांश लोग इस गतिविधि में शामिल हैं। सेब के अलावा बादाम, चुली (खुबानी) आदि गुठलीदार फल भी लोग उगा रहे हैं। चुली (खुबानी) के बीजों का इस्तेमाल लोग तेल निकालने के लिए कर रहे हैं। वर्तमान में पूरी प्रक्रिया कच्चे माल को रामपुर स्थित कोहल में ले जाकर की जाती है। गांव में ही तेल निकालने के लिए गांव के लोग इस गतिविधि को आय सृजन गतिविधि के रूप में अपनाने की इच्छा प्रदर्शित करते हैं। इसी के तहत लोगों को जागरूक किया गया और जय देवता पंच वीर नामक स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया।

5. आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण

1	उत्पाद का नाम		चूली तेल
2	पहचान की विधि		यह गतिविधि स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा तय की गई है।
3	एसएचजी/सीआईजी/क्लस्टर सदस्यों की सहमति		हाँ

6. उत्पादन योजना का विवरण

6.1	अवधि	::	मौसमी आधार पर की जाने वाली गतिविधि
6.2	शामिल सदस्यों की संख्या	::	12
6.3	कच्चे माल का स्रोत	::	स्वयं गांव से
6.4	अन्य संसाधनों का स्रोत	::	स्थानीय बाजार / मुख्य बाजार
6.5	अपेक्षित मात्रा प्रति दिन	::	23 लीटर प्रतिदिन .

7. विपणन/बिक्री का विवरण

7.1	संभावित बाज़ार स्थान	::	गांव स्वयं, सराहन, ज्योरी और रामपुर
7.2	माँग	::	पूरे वर्ष भर.
7.3	बाजार की पहचान की प्रक्रिया	::	गांवों/बाजार से संपर्क करेंगे
7.4	विपणन रणनीति		स्वयं सहायता समूह के सदस्य सीधे निकटवर्ती गांवों/बाजार से ऑर्डर लेंगे ।

8. संकट विश्लेषण

- कौशल आधारित
- मांग संचालित
- अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार

9. सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण

आपसी सहमति से स्वयं सहायता समूह के सदस्य कार्य करने के लिए अपनी भूमिका और जिम्मेदारी तय करेंगे। सदस्यों के बीच उनकी मानसिक और शारीरिक क्षमता के अनुसार कार्य का बंटवारा किया जाएगा।

- कुछ समूह सदस्य पूर्व-उत्पादन प्रक्रिया (अर्थात कच्चे माल की खरीद आदि) में शामिल होंगे
- कुछ समूह सदस्य उत्पादन प्रक्रिया में शामिल होंगे।
- समूह के कुछ सदस्य पैकेजिंग और विपणन में शामिल होंगे।

10. अर्थशास्त्र का विवरण:

क	पूंजीगत लागत			
क्रमांक	विवरण	मात्रा	यूनिट मूल्य	कुल राशि (रु.)
1	तेल निकालने की मशीन	1	100000	100000
2	टोपी, दस्ताने आदि	लगभग	लगभग	5000
3	अलमारी	1	लगभग	5000
4	कुर्सियां, मेज आदि	लगभग	लगभग	5000
	कुल पूंजी लागत (क) =			**115000**

ख	आवर्ती लागत				
क्रमांक	विवरण	इकाई	मात्रा	कीमत	कुल राशि (रु.)
1	स्थानीय बाजार से चूली का कच्चा माल	किलोग्राम	1000	300	300000
2	प्लास्टिक की बोतलें (200ml,500ml,750ml) सिलाई धागे	संख्या	2500	10	25000
3	किराया	प्रति माह			1500
4	अन्य (स्टेशनरी, बिजली बिल, परिवहन, मशीन मरम्मत)	प्रति माह			10000
	कुल आवर्ती लागत (ख)				**336500**

ग	उत्पादन लागत (मासिक)	
क्रमांक	विवरण	राशि (रु.)
1	कुल आवर्ती लागत	336500
2	पूंजीगत लागत पर 10% वार्षिक मूल्यह्रास	955
	कुल	**337455**

घ	विक्रय मूल्य				
क्रमांक	विवरण	इकाई	मात्रा	राशि (रु.)	
1	चूली तेल	लीटर	1	1100	

11. आय और व्यय का विश्लेषण (मासिक) :

क्रमांक	विवरण	राशि (रु.)
1	पूंजी लागत पर 10% मासिक मूल्य ह्रास	963
2	कुल आवर्ती लागत	336500
3	प्रति माह निकाले गए तेल की कुल मात्रा	460 लीटर (लगभग मात्रा)
4	तेल का विक्रय मूल्य	1100
5	आय सृजन (460*1100)	506000
6	शुद्ध लाभ (506000-337629)	168537
7	शुद्ध लाभ का वितरण	• मासिक आधार पर सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा । • आईजीए में आगे निवेश के लिए किया जाएगा • समूह को कुछ आय निष्कासन शुल्क तथा ग्रामीणों से ली जाने वाली डेकोर्टिकेटर मशीन से प्राप्त होगी, क्योंकि क्षेत्र के प्रत्येक घर में चूली के बीज निकालने के लिए उपलब्ध हैं तथा वर्तमान में यह कार्य रामपुर से किया जा रहा है।

12. निधि की आवश्यकता:

क्रमांक	विवरण	कुल राशि (रु.)	परियोजना योगदान	स्वयं सहायता समूह योगदान
1	कुल पूंजी लागत	115500	57750	57750
2	कुल आवर्ती लागत	336500	0	336500
3	प्रशिक्षण	80000	80000	0
	कुल	532000	137750	394250

टिप्पणी-

- **पूंजीगत लागत-** पूंजीगत लागत का 50% परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा।
- **आवर्ती लागत** - एसएचजी/सीआईजी द्वारा वहन की जाएगी।
- **प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन-** परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा ।

13. निधि के स्रोत :

परियोजना समर्थन	• पूंजीगत लागत का 50% मशीनों की खरीद के लिए उपयोग किया जाएगा । • एसएचजी बैंक खाते में एक लाख रुपए तक की धनराशि परिक्रामी निधि के रूप में जमा की जाएगी। • प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन लागत।	औपचारिकताओं का पालन करने के बाद मशीनों की खरीद संबंधित डीएमयू/एफसीसीयू द्वारा की जाएगी ।
एसएचजी योगदान	• पूंजीगत लागत का 50% स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन किया जाएगा। • आवर्ती लागत स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन की जाएगी	

14. प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन

प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन की लागत परियोजना द्वारा वहन की जाएगी। निम्नलिखित कुछ प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन प्रस्तावित/आवश्यक हैं:

- टीम वर्क
- गुणवत्ता नियंत्रण
- पैकेजिंग और विपणन
- वित्तीय प्रबंधन

15. **ऋण चुकौती अनुसूची** - यदि ऋण बैंक से लिया गया है तो यह नकद ऋण सीमा के रूप में होगा और सीसीएल के लिए कोई चुकौती अनुसूची नहीं है; तथापि, सदस्यों से मासिक बचत और चुकौती रसीद सीसीएल के माध्यम से प्राप्त की जानी चाहिए।

- सीसीएल में, एसएचजी के बकाया मूल ऋण का भुगतान वर्ष में एक बार बैंकों को किया जाना चाहिए। ब्याज राशि का भुगतान मासिक आधार पर किया जाना चाहिए।
- सावधि ऋणों में, पुनर्भुगतान बैंकों में निर्धारित पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार किया जाना चाहिए।

16. निगरानी विधि –

- वीएफडीएस की सामाजिक लेखा परीक्षा समिति आईजीए की प्रगति और निष्पादन की निगरानी करेगी तथा प्रक्षेपण के अनुसार इकाई का संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देगी।

- स्वयं सहायता समूह को प्रत्येक सदस्य की आईजीए की प्रगति और निष्पादन की भी समीक्षा करनी चाहिए तथा यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना चाहिए ताकि इकाई का संचालन अनुमान के अनुसार सुनिश्चित हो सके।

17. टिप्पणी

समूह सदस्यों की तस्वीरें-

Resolution-cum-Group Consensus Form

It is decided in the General House meeting of the Self Help Group...Jai Panchveer.....held on ...Oct, 2021.........at ......Kandhar.........that our Self Help Group will undertake the Chuli oil........as Livelihood Income Generation Activity under the Project for Improvement of Himachal Pradesh.

Forest Ecosystem Management & Livelihoods. (JICA Assisted).

प्रधान
जय देवता पंचवीर
स्वंय सहायता समूह कान्धार
[illegible], जिला शिमला (हि.प्र.)
Signature of Chairman

देवकी देवी
सचिव
जय देवता पंचवीर
स्वंय सहायता समूह कान्धार
[illegible], जिला शिमला (हि.प्र.)
Signature of Secretary

Business Plan Approval by VFDS & DMU

Jai Panchvir Self Help Group will under Take the Chuli aid

As Livelihood generation Activity under the Project for improvement of Himachal Pradesh forest ecosystems & Management & livelihood (JICA Assisted). In this regard Business Plan of Amount (Rs.) 2,00000=00 has been submitted by this group on dated ..... and this business plan has been approved by Kandhar Sugd VFDS.

Business Plan with SHG resolution is being submitted to DMU through FTU for further action, please.

Thank you.

President
Village Forest Development Society, Sugha-Kandhar
V.P.O. Sugha Teh. Rampur Distt. Shimla (H.P.)
Signature of VFDS Pradhan

Secretary
Village Forest Development Society, Sugha Kandhar
V.P.O. Sugha Teh. Rampur Distt. Shimla (H.P.)
Signature of VFDS Secretary

Approved

DMU Officer-cum-DCF,
Rampur Forest Division, H.P.